अनुदान संख्या 80 – पेय जल पूर्ति विभाग
GRANT No. 80–DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	7561,74,00	7561,76,00	7460,07,90	–101,68,10
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				100,03,15

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	300100.00	306141.66	306105.46	–36.20
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	6039.66			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	75600.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–75600.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	380200.00		439860.34	439748.98	–111.36
पु.	R.	59660.34				

(I) 80514.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 80296.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" -65000.00 लाख रु.; और

(ख) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - ग्रामीण सफाई कार्यक्रम" - 10600.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" -

(क) "मानव संसाधन विकास" - 2979.00 लाख रु. ; और

(ख) "सूचना, शिक्षा और संचार" - 1717.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.80514.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.80296.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Water Supply – Rural Water Supply Programme – Accelerated Rural Water Supply Programme" – Rs.65000.00 lakhs; and

(b) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services – Rural Sanitation Programme" – Rs.10600.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head-"3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Water Supply – Rural Water Supply Programme" -

(a) "Human Resources Development" – Rs.2979.00 lakhs; and

(b) "Information, Education and Communication" – Rs.1717.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और स्वीकार्य मदों के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2215" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "जल पूति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" -

(क) "मानव संसाधन विकास" - 1542.61 लाख रु. की बचत (1589.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "सूचना, शिक्षा और संचार" - 222.32 लाख रु. की बचत (615.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण" - 184.08 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं" -

(क) "अनुवीक्षण और मूल्यांकन" - 953.33 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "सूचना, शिक्षा और संचार" - 942.51 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "निर्मल ग्राम पुरस्कार" - 6804.33 लाख रु. की बचत (16000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल

Provisions under the above two heads remained unutilised due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage and non-receipt of proposal for admissible items.

(II) Under Major Head "2215" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Water Supply – Rural Water Supply Programme" –

(a) "Human Resource Development" – saving of Rs.1542.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1589.00 lakhs);

(b) "Information, Education and Communication" – saving of Rs.222.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.615.00 lakhs);

(c) "Management Information System and Computerisation" – saving of Rs.184.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs);

(B) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services" –

(a) "Monitoring and Evaluation" – saving of Rs.953.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs);

(b) "Information, Education and Communication" – saving of Rs.942.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs); and

(c) "Nirmal Gram Puraskar" - saving of Rs.6804.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16000.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to receipt of less number of proposals owing to availability of unspent balance of previous year.

(III) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Water

पूर्ति कार्यक्रम - प्रबंधन सूचना प्रणाली और कम्प्यूटरीकरण'' के अंतर्गत 482.28 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकार्य मदों के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (16798.84 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2215'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों आदि को अनुदान'' - 1809.41 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1802.01 लाख रु. था।

(खा) ''मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - जिला जल और सफाई समितियों, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों आदि को अनुदान'' - 14989.43 रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 14987.93 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 64762.70 लाख रु. का अधिक व्यय (374054.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Supply – Rural Water Supply Programme - Management Information System and Computerization"– saving of Rs.482.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal for admissible items and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

2. The above savings were partly (Rs.16798.84 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in November, 2007 and March, 2008 under Major Head "2215" – under the following heads:-

(A) "Water Supply – Rural Water Supply Programme – Grants to State Boards, Authorities etc." - Rs.1809.41 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1802.01 lakhs.

(B) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services – Grants to District Water and Sanitation Committees, Missions, District Rural Development Agencies etc." – Rs.14989.43 lakhs. Actual excess, however, was Rs.14987.93 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Water Supply – Rural Water Supply Programme – Accelerated Rural Water Supply Programme" – excess of Rs.64762.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.374054.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.